न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 170/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सोमदत्त पुत्र स्व0 गणेश पुत्र सगरू जाति खटीक निवासी शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर (मृतक)

1/1. लाली देवी पत्नि स्व0 सोमदत्त जाति खटीक

1/2 संजय कुमार पुत्र स्व0 सोमदत्त

1/3 भागीरथ पुत्र स्व0 सोमदत्त

1/4 कुन्दनलाल पुत्र स्व0 सोमदत्त

1/5 हिम्मत पुत्र स्व0 सोमदत्त

निवासीयान ग्राम शाहजहांपुर तह0 नीमराना जिला अलवर

2. बाबूलाल पुत्र गणेश पुत्र सगरू जाति खटीक

3. मातादीन पुत्र गणेश पुत्र सगरू जाति खटीक

4. रघुवीर पुत्र गणेश पुत्र सगरू जाति खटीक

5. गिर्राज पुत्र गणेश पुत्र सगरू जाति खटीक

निवासीयान शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर

:---- वादी/अपीलार्थी

बनाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर

:---- प्रतिवादी/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,
दिनांक 23.9.2019

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री हरिशंकर जांगिड

2. राजकीय अभिभाषक :- श्री अमरचन्द चौधरी

निर्णय दिनांक 01.03.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, नीमराना द्वारा राजस्व वाद संख्या 1934/2015 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.9.19 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 164 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा हाल नम्बर 196, 197, 198, 199 वाके ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना में स्थित है । आराजी हाल खसरा न म्बर 196 व 199 विवादित है । इस विवादित आराजी सम्पूर्ण की खातेदार भूरीदेवी थीं । साबिक आराजी खसरा नम्बर 164 में 1/2 भाग को घीसा, बद्री पुत्र सम्मन खटीक तथा 1/2 भाग को वादीगण के पिता गणेश खटीक काश्त करते थे । घीसा वगैराने राजस्व वाद संख्या 310 प्रस्तुत कर दिनांक 7.1.2009 को 1/2 भाग की खातेदारी प्राप्त कर ली । 1/2 भाग पर हमारा हमारे पिता के समय से ही पुराना कब्जा चला आ रहा है । हम भी 1/2 भाग पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि पर घीसा वगैरा का 1/2 भाग पर पुराना कब्जा था और 1/2 भाग पर हमारा पुराना कब्जा चला आ रहा है । यह भूमि भूरी देवी की थी । 1/2 भाग पर घीसा वगैरा ने डिक्री प्राप्त कर ली थी । इस प्रकार 1/2 भाग पर हम भी खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । उक्त भूरीदेवी बिना संतान बिना वसीयत के फौत हो चुकी है । उसका अंतिम संस्कार एवं सेवा हमारे बुजुर्गान ने किया है । जमाबन्दी सम्वत 2034 एग्जिविट – 4 के कॉलम संख्या 5 में अंकित किया गया है कि आराजी वादीगण के पिता व दादा के नाम से चली आ रही है, वे ही काश्त करते थे, भूरीदेवी के कोई संतान नहीं थी । इस प्रकार हम खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है, परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया । अतः अपील खारिज किया जावे ।

4 राज्य सरकार की ओर पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिये कि विवादित भूमि से अपीलांट का कोई लेना देना नहीं है । यह भूमि भूरीदेवी की थी, जिसका देहान्त हो चुका है । अपीलांट पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी चाहता है, परन्तु उसने अपना पुराना कब्जा राजस्व दस्तावेजों से सिद्ध नहीं किया है । वादी अपीलांट का वाद दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं होने के कारण सही तौर पर खारिज किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत अदालत में प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था, परन्तु तहत अदालत ने विवाधक बिन्दू विरचित कर तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है । जबकि आदेश 14 नियम 01 सी0 पी0 सी0 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अगर प्रकरण में जवाब दावा प्रस्तुत होता है तो दावा एवं जवाब दावा के आधार पर विवाधक बिन्दू विरचित करने चाहिये । आदेश 20 नियम 5 में प्रावधान किया गया है कि विवाधक बिन्दू विरचित करने के बाद प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये । परन्तु तहत अदालत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

ने सी0 पी0 सी0 के इन प्रावधानों की अनदेखी की है । ऐसी स्थिति में हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.9.2019 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वो दावा और जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम करें । तत्पश्चात प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत दिनांक 01.04.2021 को उपस्थित हों ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

8

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर